अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 153 /2013–14

श्रीमति रामसखी देवी बनाम शंकर पासवान

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	उभय पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण किया। स्पष्टतया इस वाद की प्रश्नगत भूमि (स्थित मौजा– कबीरचक थाना– सदर) खाता नं0– 179 खेसरा नं0– 305 रकवा– 03 कट्ठा 15 धुर भूमि मो0 बेचनी जौजे– स्व0 दुःखी पासवान कबीचरक ने आवेदिका रामसखी देवी जौजे– स्व0 दरबारी पासवान से अतायनामा (दान पत्र) दस्तावेज दिनांक 12.12.1989 को लिखकर दखल कब्जा दे दिया जिसके आधार पर आवेदिका के नाम दाखिल खारिज वाद सं0– 1483/89–90 के तहत जमाबन्दी सं0– 207 कायम की गई है एवं आवेदिका राजस्व भुगतान कर रसीद प्राप्त करती है। सुनने से विदित होता है कि मु0 बेचनी देवी को (तौजी नं0– 1620 के मालिक ने उक्त भूमि को) मालिक द्वारा बन्दोवस्ती से प्राप्त थी जिसका जमीन्दार के सिरिस्ते में जमाबन्दी नं0– 5 चलती थी तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् जमीन्दार मालिक द्वारा दिएं गए रिर्टन के आधार पर बिहार सरकार में भी जमाबन्दी कायम हुई थी। परन्तु विपक्षी शंकर पासवान पिता– प्यारे पासवान का कहना है कि मालिक द्वारा कोई भी मु0 बेचनी को बन्दोवस्त नहीं की गई थी। और न हीं उसके नाम कोई रिटर्न हीं दिया गया था बल्कि आवेदिका का कथन गलत कहा गया है। शंकर पासवान ने प्रश्नगत खेसरा से 17 1/2 धुर भूमि दिनांक 16.11.2001 को मो0 एहसानुल हक कादरी से बयनामा द्वारा खरीद करने तथा उसके आधार पर जमाबन्दी सं0– 746 कायम होने के आधार पर दखल कब्जे में होने का दावा किया है। उसी प्रकार उक्त खेसरा की 17 1/2 धुर भूमि दिनांक 13.12.2001 के दस्तावेज द्वारा मो0 एहसानुल हक कादरी से हीं बयनामा द्वारा खरीद करने के आधार पर दखल कब्जे में होने का दावा किया है तथा दस्तावेज एवं राजस्व रसीद दाखिल किया है जिससे विदित होता है कि शिव कुमार झा पिता– स्व0 पंडित इन्द्रदेव झा मुहल्ला मिर्जापुर ने मो0 एहसानुल हक कादरी को मोख्तारनामा वर्ष 1991 में लिखा था। सुनने से यह भी विदित होता है कि शंकर पासवान	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	ने अपनी खरीदगी 01 कट्ठा 15 धुर भूमि के निमित आवेदिका के पुत्रों कृष्णा पासवान एवं शंभू पासवान के विरूद्ध पूर्व में भूमि विवाद वाद सं0– 09/12–13 दाखिल किया था जिसमें दिनांक 24.07.2012 को पारित आदेशानुसार इस वाद के आवेदिका के पुत्रों को प्रश्नगत भूमि पर (शंकर पासवान की खरीदगी भूमि पर) जाने अथवा किसी भी प्रकार का अवरोध शंकर पासवान के कब्जे में उत्पन्न करने से प्रतिबंधित किया गया है, जो आदेश अब तक प्रभावी है जिसके खिलाफ आवेदिका के पुत्रों अथवा आवेदिका ने कोई भी अपील या पुनरीक्षण वाद दाखिल नहीं किया है जबकि उक्त आदेश अपीलीय था। उपर्युक्त विवेचनोपरान्त स्पष्ट होता है कि इस वाद की प्रश्नगत भूमि पर आवेदिका के वाद पत्रनुसार स्वत्व न्याय निर्णीत करने का जटिल प्रश्न संश्लिष्ट है जिसका निदान सिर्फ व्यवहार न्यायालय से हीं संभव है। चूँकि उभय पक्षों मे किसका दस्तावेजी दावा सही एंव किसका गलत है का निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यद्यपि उभय पक्षों का उक्त भूमि का जमाबन्दी रसीद भी निर्गत है। अतः तमाम परिप्रेक्ष्य में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा– 4 (5) के तहत इस वाद की कार्यवाही को Close किया जाता है तथा पक्षकारों को निदेशित किया जाता है कि अपने दावे के उपचार हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष याचना करने हेतु स्वतंत्र हैं। इसी आदेश के साथ इस कार्रवाई को निष्पादित किया जाता है। "अभिलेख संचिकास्त करें।" **लेखापित एव शुद्धित** 11/01/15 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 11/01/15 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	